यह समीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिगड़े संतुलन के मद्देनजर स्थायी विनिर्माण जरूरी

पुनीत डालमिया
एमडी, डालमिया भारत समूह

राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए उद्योग को वित्त वर्ष 2020 में स्थायी सरकार, तेल में गिरावट और जीएसटी में नरमी की उम्मीद

निरंजन हीरानंदानी
सीएमडी, हीरानंदानी समूह

यह समीक्षा निजी निवेश पर जोर देते हुए जीडीपी वृद्धि दर को रफ्तार देकर राजकोषीय स्थिरता लाने के लिए सरकारी प्रयासों को दर्शाती है

राजीव कुमार
वाइस चेयरमैन, नीति आयोग

यह देखकर काफी अच्छा लगा कि भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है

मीना गणेश
एमडी एवं सीईओ, पोर्टिया मेडिकल

देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा

वरुण भूटानी
एमडी (वर्ककी), ट्राईहंड सॉल्यूशंस

सकल घरेलू उत्पाद ■ इस वित्त वर्ष में जीडीपी की रफ्तार 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है

भारत के अनुकूल विकास का मॉडल पेश

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 4 जुलाई

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक समीक्षा 2018-19 में आर्थिक विकास के पारंपरिक सिद्धांत पर आधारित मानकों को पीछे छोड़ते हुए निवेश, रोजगार सृजन, मांग, निर्यात और आर्थिक विकास में तालमेल पर आधारित मॉडल पेश किया।

इस मॉडल के आधार पर सुब्रमण्यन ने अर्थव्यवस्था को 8 फीसदी की रफ्तार से बढ़ाने की रणनीति के बारे में विस्तार से बताया ताकि 2024-25 तक जीडीपी का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है।

हालांकि आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की रफ्तार महज 7 फीसदी रहने की बात कही गई है, जो 2018-19 के 6.8 फीसदी के मुकाबले सिर्फ 0.2 फीसदी ज्यादा है।

समीक्षा में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था हमेशा असंतुलित रही है, या तो अच्छी रही है या फिर बुरी। जब अर्थव्यवस्था सही चक्र में होती है तो निवेश, उत्पादकता की रफ्तार, रोजगार का सृजन, मांग और निर्यात एक दूसरे को सहारा देते हैं और अर्थव्यवस्था को फलने-फूलने के लिए उनमें जिंदादिली भर देते हैं। इसके उळट जब अर्थव्यवस्था बुरे चक्र में होती है तो निवेश, उत्पादकता, रोजगार सृजन आदि एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, लिहाजा अर्थव्यवस्था में जिंदादिली नहीं रह जाती।

समीक्षा में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को अच्छे दौर में बनाए रखने के लिए निवेश अहम होता है। राजेश चक्रवर्ती और एस मेका के साथ किए अपने अध्ययन के आधार पर सुब्रमण्यन ने कहा कि यह निवेश बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी व सरकारी दोनों हो सकता है।

■ आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष **2025** तक **5** लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की रफ्तार सालाना रफ्तार **8** फीसदी होनी चाहिए। हालांकि इस वित्त वर्ष में जीडीपी की रफ्तार **7** फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है

समीक्षा पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुब्रमण्यन ने कहा, हमारा इरादा दिशा बदलने का है और इसके लिए हम निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को अच्छे दौर में ले जाना चाहते हैं।

आर्थिक समीक्षा कहा गया है कि परंपरागत तरीकों से निजात पाकर अधिक निवेश की वकालत की गई है। पुराने ढर्रे में रोजगार सृजन, मांग, निर्यात, आर्थिक वृद्धि जैसे मसलों को अलग समस्या के तौर पर देखा जाता है। इसके उलट समीक्षा में कहा गया है कि ये आर्थिक घटनाएं विशेष पूरकता का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए प्रमुख संकेतकों को पहचानने और उसे मजबूत बनाने से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र एकसाथ आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संकट ने परंपरागत आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ी समस्याएं सामने ला दी। इसने पंचवर्षीय योजनाओं की नाकामी के लिए इसी मॉडल को जिम्मेदार ठहराया।

इस बिंदु को साबित करने के लिए सुब्रमण्यन ने कहा कि बचत, निवेश और जीडीपी में बढ़ोतरी उच्च बढ़त वाली अर्थव्यवस्थाओं में अच्छे दौर में हुई है, चाहे वह चीन हो या फिर पूर्वी एशिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं।

सुब्रमण्यन ने कहा, जब अर्थव्यवस्था में बेहतरी शुरू हुई तो चीन ने बचत और ज्यादा निवेश शुरू किया। भारत को इससे सीखने और अच्छे दौर वाले चक्र अपनाने की जरूरत है।

अध्ययन का हवाला देते हुए समीक्षा में कहा गया है कि बचत व जीडीपी की रफ्तार के बीच सकारात्मक सह-संबंध निवेश व बढ़त के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है। इसकी वजह यह है कि निवेश जोखिम भरा होता है, उद्यमी के सामने कारोबार के नुकसान का विशेष जोखिम होता है, जिससे निवेशित पूंजी का नुकसान होता है। इसलिए निवेश के मुकाबले बचत में ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी ताकि एतहिताती बचत का संचय हो सके।

इसमें निर्यात की अहमियत को रेखांकित किया गया है क्योंकि निवेश के जरिये सृजित ज्यादा क्षमता का उपभोग अकेले देश में नहीं हो सकता क्क्योंकि बचत में भी इजाफा होगा।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, इसी वजह से निवेश के जरिए बढ़त वाले किसी मॉडल का हिस्सा निर्यात की आक्रामक रणनीति होनी चाहिए। यह सही है कि विश्व व्यापार अभी कुछ अवरोध का सामना कर रहा है, लेकिन वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी इतनी कम है कि उसे बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। हम तर्क दे सकते हैं कि मौजूदा अवरोध भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खुद को शामिल कराने का मौका उपलब्ध करा रहा है।

समीक्षा में इस सिद्धांत को सही नहीं बताया गया है कि रोजगार की जगह निवेश ले लेता है और इससे नौकरियों का नुकसान होता है।

अन्य देशों के मुकाबले भारत में ब्याज दरें ऊंची

अनूप रॉय
मुंबई, 4 जुलाई

वर्ष 2018-19 के लिए आर्थिक समीक्षा में वास्तविक ब्याज दर में कमी की जरूरत पर जोर दिया गया है, जिससे कि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसका प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में एक सदस्य द्वारा भी दिया गया था।

वास्तविक ब्याज दर उधारी दर (आर्थिक समीक्षा में एसबीआई की आधार दर को लिया गया है) और मौजूदा मुद्रास्फीति दर के बीच अंतर है। इसी तरह से वास्तविक नीतिगत दर रीपो दर - (माइनस) मुद्रास्फीति है।

3.4 प्रतिशत नए मुद्रास्फीति प्रिंट को ध्यान में रखते हुए, जहां रीपो दर 5.75 प्रतिशत है, और एसबीआई आधार दर 9.05 प्रतिशत, वास्तविक नीतिगत दर 2.35 प्रतिशत पर बैठती है, जबकि वास्तविक ब्याज दर लगभग 5.65 प्रतिशत है।

■ वास्तविक ब्याज दर में कमी लाने की है जरूरत

■ वास्तविक ब्याज दर और वास्तविक नीतिगत दर, दोनों ही, भारत के प्रतिस्पर्धियों से ऊपर हैं

वास्तविक ब्याज दर और वास्तविक नीतिगत दर, दोनों ही, भारत के प्रतिस्पर्धियों से ऊपर हैं। आर्थिक समीक्षा में इनमें कमी लाने पर जोर दिया गया है।

इसे लेकर विभिन्न विचार सामने आए हैं कि भारत के लिए एक उपयुक्त वास्तविक नीतिगत दर क्या होनी चाहिए। इसके लिए 1.5-2 प्रतिशत पर सहमति बनती दिख रही है। इसका मतलब है कि मौजूदा मुद्रास्फीति दर पर रीपो दर में अन्य 35 आधार अंक तक की कमी आने की संभावना है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि ब्याज की वास्तविक दर भारत में हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है।

हालांकि दिवालिया संहिता पर अमल और बैंकों में पूंजी डाले जाने से दोहरी बैलेंस शीट की समस्या दूर हो रही है।

समीक्षा में कहा गया है, 'अब विस्तार के लिए आधार तैयार किया गया है और यह समय पूंजी की लागत में बड़ी कमी लाने का है।' उन्होंने कहा कि पूंजी की ऊंची लागत से देश में निवेश संभावनाएं प्रभावित हुई हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के अनुसार, बचत मुख्य रूप से जनसांख्यिकी और आय वृद्धि पर आधारित है। इसलिए, घरेलू ब्याज दरों को ऊंची बनाए रखने से बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, उपयुक्त वास्तविक दर पर्याप्त होगी।

समीक्षा में कहा गया है, 'चूंकि निवेश काफी हद तक पूंजी की कम लागत पर निर्भर करता है, इसलिए वास्तविक ब्याज दरें घटने से बचत में कमी आनी जरूरी नहीं है। साथ ही, वास्तविक ब्याज दरों में कमी से निवेश बढ़ सकता है और इससे निवेश, वृद्धि, निर्यात और रोजगार के चक्रों में गति आ सकती है।'

आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी से ब्याज दरों में तीन बार कटौती की है।

एमपीसी में उनके सहकर्मी रवींद्र ढोलकिया भी दर कटौती के मजबूत प्रस्तावक हैं। उन्होंने 25 आधार अंक की कटौती का समर्थन किया था।

ढोलकिया ने एमपीसी की बैठक में कहा, 'मेरी नजर में, हमें नीतिगत दर घटाकर अपनी वास्तविक ब्याज दरों में लगातार कमी करनी चाहिए।'

ढोलकिया ने कहा, 'हमारी वास्तविक नीतिगत दर 2 प्रतिशत से अधिक है और वास्तविक ब्याज दर काफी ऊंची है, जिससे हमारा उत्पादन वैश्विक रूप से कम प्रतिस्पर्धी बन गया है। हमें जल्द ही इस ब्याज दर को घटाकर 1.5 प्रतिशत के वास्तविक स्तर पर लाना होगा।'

निजी निवेश ■ निवेश तभी बहाल होगा जब निवेशकों को भविष्य की नीतियों में बदलाव नहीं होने का भरोसा होगा

निजी निवेश में मजबूती के लिए अच्छी नीति, कम ब्याज दर जरूरी

देव चटर्जी
मुंबई, 4 जुलाई

निजी क्षेत्र की कंपनियां नई क्षमता पर निवेश नहीं करना चाह रही हैं। ऐसे में आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि ब्याज दरों में कमी लाने और बचत को प्रोत्साहित करने के अलावा सरकार को अच्छी नीतियां सुनिश्चित करनी चाहिए जो क्रियान्वयन के चरण में निरंकुशता कम करे ताकि भारतीय कंपनी जगत निवेश का फैसला ले सके।

समीक्षा में सुझाव दिया गया है, यह पहले से ही तय होना चाहिए कि किसी खास अवधि तक नीतियों में बदलाव नहीं होगा ताकि निवेशकों को भविष्य की नीतियों के प्रति भरोसा हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है, खास तौर से निजी निवेश मांग में इजाफा करने, क्षमता सृजित करने के लिए अहम है और यह श्रम उत्पादकता में इजाफा करता है, नई तकनीक लागू करता है और रोजगार का सृजन करता है।

इसमें कहा गया है कि साल 2008 से करीब एक दशक तक निवेश स्थिर रहने के बाद भारत की निवेश गतिविधियां 2017-18 की पहली तिमाही से सुधरी हैं। वास्तव में जीडीपी के अनुपात के लिहाज से सकल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2007-08 के 37 फीसदी के मुकाबले 10 साल में घटकर 27 फीसदी रह गया, लेकिन उसके बाद यह सुधरा है और अभी करीब 28 फीसदी पर है। आर्थिक नीति में अनिश्चितता बढ़ने से करीब पांच तिमाही से भारत में निवेश की रफ्तार को क्षदित पहुंची है, ऐसे में समीक्षा में कहा गया है कि सरकार राजकोषीय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति और बैंकिंग नीति को शामिल करने की खातिर आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक बना सकती है। ऐसे सूचकांकों पर नजर डालने से आर्थिक नीति की अनिश्चितता की निगरानी हो पाएगी और इस पर नियंत्रण भी हो सकेगा।

समीक्षा में कहा गया है कि वास्तविक ब्याज दर में कटौती से निवेश बढ़ सकता है और इस तरह से निवेश, बढ़त, निर्यात और नौकरियों में अच्छा दौर आ सकता है।

भारतीय कंपनी जगत के सीईओ ने कहा, समीक्षा की दिशा हालांकि सही है, लेकिन उपभोक्ताओं की तरफ से मांग का अभाव और उच्च ब्याज दर उन्हें नई क्षमताओं में निवेश से रोक रहा है। हाल के समय में देश में हुआ नया निवेश नकदी संपन्न कंपनियों ने दिवालिया कंपनियों के अधिग्रहण के जरिये हुआ है। टाटा स्टील ने भूषण स्टील के अधिग्रहण पर 35,400 करोड़ रुपये निवेश किया, वहीं आर्सेलरमित्तल एस्सार को 42,000 करोड़ रुपये में खरीदने पर सहमत हुई है। इसी तरह आदित्य बिड़ला समूह ने जेपी व बिनानी सीमेंट की परिसंपत्तियां खरीदकर अपनी उत्पादन क्षमता में इजाफा गिया है। भारतीय कंपनियों की तरफ

से नया निवेश नहीं हुआ है क्योंकि उपभोक्ता की मांग पिछले साल सितंबर से ही घटनी शुरू हो गई है, जिससे दोपहिया व कारों की बिक्री को झटका लगा है।

डीएलएफ के सीईओ व एमडी राजीव तलवार ने कहा, नकदी बढ़ाने और देश में मांग बहाल करने के लिहाज से नीतिगत दरों में कटौती का फायदा बैंकों की तरफ से दिया जाना अहम होगा।

एक स्टील फर्म के सीईओ ने कहा कि भारत में उच्च ब्याज लागत निवेश का अहम रोड़ा है और वह आगामी महीनों में नए निवेश पर विचार करेंगे जो ब्याज लागत पर आधारित होगा और इस पर भी कि विलय-अधिग्रहण का कोई मौका उपलब्ध है या नहीं। समीक्षा में कहा गया है कि कंपनियों के निवेश पर कई चीजों का असर पड़ रहा है। उधारी की लागत का निवेश पर नकारात्मक असर हो सकता है क्योंकि यह ज्यादा इनपुट लागत में प्रतिंबिबित होता है। रिपोर्ट में कहा गया है, उम्मीद के मुताबिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सहसंबंध रीपो दर, भारांकित औसत उधारी दर और एसबीआई के एमसीएलआर के साथ नकारात्मक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक निवेश को प्रोत्साहित करने का है और समीक्षा में कहा गया है कि इसके लिए उत्पादक को अपने उत्पादों की सही कीमत मिलनी जरूरी है। कीमतों में बढ़ोतरी से ज्यादा निवेश हो सकता है क्योंकि कारोबार करने वाले इसे तब तक लाभकारी पाएंगे जब तक कि उपभोग की मांग मजबूत हो। निवेश पर असर डालने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक क्षमता इस्तेमाल है। किसी एक तिमाही में क्षमता इस्तेमाल का सकारात्मक असर आगामी तिमाही में निवेश की बढ़त पर पड़ सकता है क्योंकि पिछली तिमाही में क्षमता के अतिरिक्त इस्तेमाल से मौजूदा तिमाही में नए निवेश की जरूरत कम हो सकती है। अभी भारतीय कंपनियां औसतन 75 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल कर रही हैं और यह भारतीय कंपनी जगत को अतिरिक्त क्षमता पर निवेश के मामले में मुश्किल बना रहा है।

एनबीएफसी ■ म्युचुअल फंडों द्वारा निकासी संकट की शुरुआती वजह

एनबीएफसी संकट से वृद्धि की रफ्तार पर जोखिम

जश कृपलानी
मुंबई, 4 जुलाई

आर्थिक समीक्षा 2018-19 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में संकट से पैदा हुए जोखिम का जिक्र किया गया है, क्योंकि इससे वाहन क्षेत्र में खपत वृद्धि प्रभावित हुई जिससे निर्माण क्षेत्र में वृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ा।

आर्थिक समीक्षा में चेतावनी दी गई है कि यदि एनबीएफसी क्षेत्र में संकट का असर इस साल भी बना रहा तो इससे एनबीएफसी से ऋण उठाव में कमी आ सकती है जिससे खपत वृद्धि की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।

इसमें सितंबर में आईएलऐंडएफएस भुगतान चूक के बाद एनबीएफसी संकट शुरू होने का विस्तार से जिक्र किया गया है। आईएलऐंडएफएस संकट के तुरंत बाद, एनबीएफसी को गंभीर नकदी किल्लत का सामना करना पड़ा, क्योंकि म्युचुअल फंडों ने एनबीएफसी के ऋणों का पुन: भुगतान रोक दिया। समीक्षा में कहा गया है कि एनबीएफसी के लिए फंडों के निवेश में अप्रैल में 12 प्रतिशत की कमी आई।

आईएलऐंडएफएस संकट के बाद नकदी मुहैया कराने की बैंकों की कोशिश पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि समीक्षा में कहा गया है, 'बैंकिंग क्षेत्र से संसाधनों में नवंबर 2018 से ही कमी आनी शुरू हो गई।'

इसमें कहा गया है,

■ एनबीएफसी क्षेत्र में संकट का असर इस साल भी बना रहा तो इससे एनबीएफसी से ऋण उठाव में कमी आ सकती है

■ मार्च 2018 में एनबीएफसी की ऋण वृद्धि दर सालाना आधार पर 30 प्रतिशत रही थी। मार्च 2019 में यह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत रही

'एनबीएफसी के लिए संसाधनों के प्रवाह में कमी से हाल की तिमाहियों में इस क्षेत्र की उधारी क्षमता प्रभावित हुई है।'

मार्च 2018 में एनबीएफसी की ऋण वृद्धि दर सालाना आधार पर 30 प्रतिशत रही। मार्च 2019 में यह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत थी।

समीक्षा में कहा गया है कि एनबीएफसी के कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतक 2018-2019 के दौरान किस तरह से गड़बड़ा गए थे। एनबीएफसी सेक्टर के लिए परिसंपत्तियों पर प्रतिफल दिसंबर 2018 में घटकर 1.4 प्रतिशत रह गया जो मार्च 2018 में 1.6 प्रतिशत था। जोखिम परिसंपत्ति अनुपात या पूंजी पर्याप्तता अनुपात समान अवधि में 22.8 से घटकर 22.2 रह गया।

एनबीएफसी की शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियां 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत पर पहुंच गईं। क्षेत्र के लिए पूंजी पर प्रतिफल 7 प्रतिशत से घटकर 6.1 प्रतिशत रह गया।

अगस्त 2018 में, एनबीएफसी के अल्पावधि (90 दिन से कम) वाणिज्यिक पत्र बाजार में म्युचुअल फंडों द्वारा पूंजी निवेश 1.3 लाख करोड़ रुपये पर दर्ज किया गया। बाजार नियामक सेबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष के अंत (मार्च 2019) तक यह निवेश घटकर 95,708 करोड़ रुपये रह गया। इससे अगस्त के स्तर (आईएलऐंडएफएस संकट से पहले) से एमएफ निवेश में 27 प्रतिशत की कमी का पता चलता है।

हम इस बात से सहमत हैं कि वृद्धि की रफ्तार 8 फीसदी पर बरकरार रखने के लिए निवेश को प्रमुख वाहक बनाने की जरूरत होगी

चंद्रजित बनर्जी
महानिदेशक, सीआईआई

लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस समय दमदार एवं लचीले श्रम सुधार की दरकार

राजीव तलवार
अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई एवं सीईओ, डीएलएफ

यह समीक्षा अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर बयां करती है। बजट में कृषि, एफडीआई और प्राकृतिक संसाधनों में बड़े सुधारों की उम्मीद

अनिल अग्रवाल
कार्यकारी चेयरमैन, वेदांत रिसोर्सेज

यह हमें कुछ चुनौतियों पर काबू पाने की उम्मीद बंधाती है। नकदी संकट व उसके प्रभाव से निपटने के लिए साहसिक कदम जरूरी

बी के गोयनका
अध्यक्ष, एसोचैम एवं चेयरमैन, वेलस्पन

यह समीक्षा सहकारी संघवाद के परिप्रेक्ष्य में विस्तार की गुंजाइश को दर्शाती है। राज्यों को बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने की जरूरत

डी के श्रीवास्तव
मुख्य नीति सलाहकार, ईवाई इंडिया

एमएसएमई ■ पुरानी छोटी कंपनियों के बजाय नई इकाइयों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश

बौनी कंपनियों पर लगाम, नई को रफ्तार

सोमेश झा
नई दिल्ली, 4 जुलाई

आर्थिक समीक्षा में छोटी कंपनियों को दिए जाने वाले नीतिगत प्रोत्साहन को खत्म करने का प्रावधान करने और नई इकाइयों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है। आर्थिक समीक्षा में ऐसा वातावरण बनाने की बात कही गई है जहां नई कंपनियों को बड़ा आकार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने नई कंपनियों के लिए 'नवजात' और छोटी कंपनियों के लिए 'बौनी' शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि बौनी कंपनियां अपने छोटे आकार से कभी आगे नहीं बढ़ती हैं और वे केवल सरकारी प्रोत्साहन हासिल करने के लिए बकरार रहती हैं। समीक्षा में कहा गया है, 'भारत में बौनी कंपनियों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों से रोजगार सृजन को नुकसान होता है क्योंकि ये ऐसी कंपनियां है जो कभी नहीं बढ़तीं। इसके बजाय नवजात कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उनमें बढ़ने की संभावना मौजूद है और वे तेजी से बड़ी हो सकती हैं।' समीक्षा में उन फैक्टरियों को छोटी कंपनियों की श्रेणी में रखा गया है जहां श्रमिकों की संख्या 100 के दायरे में है। बौनी कंपनियों को उन छोटी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 10 साल से अधिक समय से परिचालन में हैं जबकि नवजात कंपनियां कार्यकल के लिहाज से छोटे आकार की नई कंपनियां हैं।

उद्योगों की वार्षिक समीक्षा (एएसआई) के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र की कुल संगठित कंपनियों में आधी से अधिक बौनी कंपनियां हैं। रोजगार सृजन में इनका योगदान महज 14 फीसदी और उत्पादकता में योगदान महज 8 फीसदी है।

समीक्षा में कहा गया है, 'इसके विपरीत बड़ी कंपनियों (100 से अधिक कर्मचारियों वाली) का योगदान इस प्रकार के रोजगार में करीब तीन-चौथाई और उत्पादकता में करीब 90 फीसदी है जबकि उनकी संख्या महज 15 फीसदी है।' इसलिए यह एक गलत धारणा बन गई है कि रोजगार सृजन में छोटी कंपनियों का बड़ा योगदान है। जबकि छोटी कंपनियां रोजगार को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वे अपने सृजित रोजगार को बरकरार नहीं रख पाती हैं।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, बड़ी कंपनियां स्थायी रोजगार सृजित करती हैं जबकि युवा कंपनियां पुरानी कंपनियों के मुकाबले कहीं अधिक तेजी रोजगार सृजित करती हैं।

समीक्षा में कहा गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए एमएसएमई के विकास के लिए आकार आधारित सभी प्रकार के प्रोत्साहनों को 5 से 7 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों को नई दिशा देने के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि प्रगति करने वाले एमएसएमई उद्यम न केवल स्वयं लाभ अर्जित करते हैं बल्कि वे रोजगार के अवसरों के सृजन में तथा अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन में योगदान भी देते हैं। इसलिए हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो एमएसएमई के विकास पर विशेष ध्यान दें। इसमें कहा गया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के प्रावधान स्टार्टअप एवं नवजात कंपनियों पर केंद्रित होने चाहिए। इन क्षेत्रों में रबर एवं प्लास्टिक के उत्पाद, इलेक्ट्रिकल एवं परिवहन उपकरण, कपड़ा आदि शामिल हैं जहां रोजगार की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

समीक्षा में बौनी कंपनियों को बड़ी करने और एमएसएमई की वृद्धि पर केंद्रित नीतियों की वकालत की गई है। इसमें कहा गया है कि वृद्धि दर्ज न करने वाले पुराने एमएसएमई के बजाय नई कंपनियों को नीतिगत प्रोत्साहन देने की जरूरत है क्योंकि वे नई कंपनियों के विकास की राह में बाधा बनी हुई हैं।

राजस्थान में श्रम बाजार का कम विनियमन

आर्थिक समीक्षा 2018-19 में रोजगार एवं वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उदार श्रम कानूनों की जमकर वकालत की गई है और राज्यों को उनके श्रम कानूनों में सख्ती के आधार पर 'लचीला' एवं 'सख्त' श्रेणियों में रखा गया है। इस संदर्भ में राजस्थान का श्रम सुधार कानून एक विशेष मामला हैः

सौ से अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरियों की संख्या

सालाना चक्रवृद्धि बढ़त (% में)	सुधार से पहले	सुधार के बाद
राजस्थान	3.65	9.33
शेष भारत	4.53	5.52
कुल आउटपुट		
सालाना चक्रवृद्धि बढ़त (फीसदी में)	सुधार से पहले	सुधार के बाद
राजस्थान	3.13	12
शेष भारत	4.8	5.71
प्रति फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या		
सालाना चक्रवृद्धि बढ़त (फीसदी में)	सुधार से पहले	सुधार के बाद
राजस्थान	-8.89	4.17
शेष भारत	2.14	2.6
प्रति फैक्टरी कुल आउटपुट		
सालाना चक्रवृद्धि बढ़त (फीसदी में)	सुधार से पहले	सुधार के बाद
राजस्थान	1.43	11.18
शेष भारत	6.71	11.24

स्रोतः आर्थिक समीक्षा की गणना 2011-2017
नोटः राजस्थान और शेष भारत के लिए औसत की गणना अलग-अलग की गई है।

नीतिगत अनिश्चितता में कमी लाने पर जोर

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 4 जुलाई

आर्थिक समीक्षा 2018-19 में भारत में 'आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता' में कमी लाने की बात कही गई है। समीक्षा में नीति और नियमों को अधिक अनुकूल और मजबूत बनाकर, नीति के उचित दस्तावेजीकरण एवं क्रियान्वयन के जरिये आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता घटाने और 'इकोनोमिक पॉलिसी अनसर्टेंटी इंडेक्स' पर अमल किए जाने पर जोर दिया गया है। हालांकि इस सूचकांक थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है।

समीक्षा में 'नीतिगत अनिश्चितता निवेश को कैसे प्रभावित करती है?' अध्याय में कहा गया है, 'जहां अनियंत्रित कारकों से पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता नीति निर्माताओं के नियंत्रण से परे है, लेकिन वे आर्थिक नीति से संबंधित अनिश्चितता को नियंत्रित कर सकते हैं। आर्थिक नीति अनिश्चितता में कमी लाना जरूरी है, क्योंकि घरेलू निवेश और विदेशी निवेश,दोनों ही घरेलू आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं।' समीक्षा में कहा गया है कि जहां भारत ने 2012 से घरेलू आर्थिक नीति अनिश्चितता में कमी आई है, लेकिन नीति निर्माताओं को घरेलू आर्थिक नीति अनिश्चितता में और कमी लाने पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इसे लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे यह काम किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष स्तर के नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नीतिगत कार्य अनुकूल हों, नीति क्रियान्वयन में अस्पष्टता दूर हो। इसमें कहा गया है, 'अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सी नीतियों में बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे कि निवेशकों को आगामी नीति के बारे में भरोसा मिल सके।'

> आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक को एक महत्वपूर्ण सूचकांक बनाया जाना चाहिए

इसमें यह भी कहा गया है कि आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक को एक महत्वपूर्ण सूचकांक बनाया जाना चाहिए जिससे कि नीति निर्माता त्रैमासिक आधर पर उच्चस्तर की निगरानी कर सकें और सरकार को राजकोषीय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, और बैंकिंग नीति से पैदा होने वाली आर्थिक नीति अनिश्चितता को ध्यान में रखकर आर्थिक नीति अनिश्चितता उप-सूचकांकों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।

हालांकि यह एक ऐसा कदम है जिससे समस्याएं पैदा होंगी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आर्थिक नीति अनिश्चितता का सुझाव अखबारों के लेखों पर आधारित है और कुछ खास संकेत शब्दों के इस्तेमाल ने इसे एक अधूरा कार्य बना दिया है।

सूचकांक में प्रख्यात अखबारों में प्रकाशित लेखों की तीव्रता को दर्शाया गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, 'सिर्फ उन्हीं लेखों को आर्थिक नीति अनिश्चितता का आकलन करने के लिए शामिल किया गया है जिनमें सभी तीन श्रेणियों से शब्द शामिल हैं।' जिस वेबसाइट से आर्थिक अनिश्चितता सूचकांक को लिया गया है, उसके अनुसार, भारत के लिए सिर्फ सात अंग्रेजी भाषी अखबारों पर विचार किया गया है। ये हैं इकोनोमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिन्दू, फाइनैंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन।

संक्षेप में, समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि भारत में नीति-निर्माताओं को उस सूचकांक पर अमल करना चाहिए जो सात अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित खास शब्दों और टर्म्स पर आधारित हो।

न्यूनतम वेतन प्रणाली समग्र विकास के लिए जरूरी

सोमेश झा
नई दिल्ली, 4 जुलाई

वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम वेतन ढांचे पर खासा जोर दिया गया है। गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी न्यूनतम वेतन प्रणाली तत्काल लाए जाने की जरूरत है। समीक्षा में कहा गया है, 'श्रमिकों की हितों की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए न्यूनतम वेतन प्रणाली का पुख्ता ढांचा एक प्रभावी हथियार साबित हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों से यह साफ हो गया है कि अपेक्षाकृत सरल प्रणाली अधिक प्रभावी होती है, जबकि इसकी तुलना में एक जटिल तंत्र सबसे कम बदलाव ला पाता है।'

समीक्षा में वेतन विधेयक पर संहिता की हिमायत की गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुहर लगा दी थी। समीक्षा में मौजूदा न्यूनतम वेतन प्रणाली को जटिल करार दिया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों में रोजगार की 1,975 श्रेणिया हैं।

मौजूदा राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन के मुकाबले समीक्षा में 'नैशनल फ्लोर मिनिमम वेज' पर जोर दिया गया है, जो पांच भौगोलिक क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है।

समीक्षा में कहा गया है, 'राज्य न्यूनम वेतन तय कर सकते हैं, लेकिन यह एक तय निश्चित वेतन से कम नहीं होंगा। इससे पूरे देश में न्यूनतम वेतन के निर्धारण में समानता आएगी। इससे निवेश के लिए श्रम लागत के लिहाज से देश के सभी राज्य समान रूप से आकर्षक हो जाएंगे और और लाचारी के कारण होने वाले पलायन पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।'

समीक्षा के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर चार श्रेणियों- अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल और अति कुशल- के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाना चाहिए। समीक्षा में कहा गया है कि मौजूदा प्रणाली सरल बनाने के लिए वेतन सीमा से इतर सभी श्रमिकों को शामिल किया जाना चाहिए।

समीक्षा में मौजूदा न्यूनतम वेतन प्रणाली को जटिल करार दिया गया है

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि तकनीक की मदद से एक सरल और लागू हो पाने वाली न्यूनतम वेतन प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। समीक्षा के अनुसार न्यूनतम वेतन से पारिश्रमिक बढ़ता है और रोजगार पर खास असर डाले बिना यह वेतन असमानता दूर करता है। सर्वेक्षण में निकारागुआ, नीदरलैंड्स, उरुग्वे और कोस्टा रिका की तर्ज पर न्यूनतम वेतन में नियमित बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। इन देशों में हरेक छह महीने में वेतन में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं।

इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मंच गठित करने का सुझाव दिया गया है, जहां सभी राज्यों की पहुंच होगी और वहां न्यूनतम वेतन के संबंध में अधिसूचनाएं अद्यतन होती रहेंगी। इससे श्रमिकों के पास पर्याप्त जानकार रहेगी और वे अपने कौशल के हिसाब से वेतन पा सकेंगे।

वेतन विधेयक पर प्रस्तावित संहिता में वेतन से जुड़े चार कानून-न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम,1965 और समान वेतन अधिनियम, 1976- शामिल होंगे। इसमें एक सांविधिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का भी प्रस्ताव है, जिसे राज्य सरकारें रोजगार की सभी चार श्रेणियों के लिए लागू करेंगी।

आधार से जुड़ी भुगतान व्यवस्था से सुधरी मनरेगा

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 4 जुलाई

आर्थिक समीक्षा 2018-19 में लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला के उस दोषपूर्ण योजना अकाल पीड़ितों के लिए काम के बदले भोजन का उल्लेख करते हुए पिछली सरकारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन की आलोचना की गई है। इसमें बताया गया है कि 2015 में खोले गए जन धन खातों में तब से आधार से जुड़े भुगतान करने की व्यवस्था के बाद से यह आधारभूत रूप से कितना बदल गया है।

लखनऊ में 1784 में आसफुद्दौला के काम के बदले भोजन कार्यक्रम के तहत दिन में मजदूरों को इमामबाड़ा के निर्माण के काम में लगाया जाता था और रात में दूसरे मजदूर समूह से उसी निर्माण को ध्वस्त करने का काम लिया जाता था। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने अपने पहले आर्थिक समीक्षा में एक पूरा अध्याय मनरेगा में डीबीटी लागू करने के बाद समय पर मजदूरी भुगतान में आए सुधार, दाखिल किए जाने वाले मस्टर रॉल की संख्या में वृद्धि, बढ़ी हुई मांग और योजना के तहत काम की आपूर्ति के बारे में बताने के लिए दिया है। इसमें यह बताया गया है कि यह महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्गों की आर्थिक तंगी को दूर करने में भी सहायक हुआ है।

समीक्षा में कहा गया है कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने योजना में होने वाले रिसाब को तो रोका ही है फर्जी मजदूर भी इससे बाहर हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो ब्लॉक सूखे से प्रभावित नहीं है वहां आधार से जुड़े भुगतान का काम मांगने वाले लोगों की संख्या पर कोई असर नहीं हुआ है लेकिन सूखा प्रभावित ब्लॉकों में इस सुविधा के बाद काम मांगने वालों की संख्या में 20.7 फीसदी का उछाल आया है।

2015 में सरकार ने देश के बैंकिंग व्यवस्था के अधिक प्रसार वाले 300 जिलों में मनरेगा में आधार से जुड़े भुगतान सुविधा की शुरुआत की थी। जबकि बाकी बचे जिलों को 2016 में इसके दायरे में लाया गया। समीक्षा में कहा गया है कि मनरेगा के तहत सक्रिय 11.61 करोड़ मजदूरों में से अब तक 10.16 करोड़ मजदूरों (87.51 फीसदी) का आधार लिया जा चुका है और उसे इससे जोड़ा जा चुका है।

सरकार के इस दावे का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया खंडन, कहा इसके कारण बड़ी संख्या में योग्य मजदूर हुए योजना से बाहर

फिलहाल मनरेगा के तहत होने वाले सभी भुगतानों में से करीब 55.05 फीसदी भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली से किया जाता है।

मनरेगा मॉडल से प्रभावित होकर सुब्रमण्यन ने अपनी सिफारिशों में पीडीएस, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एलपीजी सब्सिडी आदि सरकारी योजनाओं में आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली और अन्य उन्नत तकनीक को शामिल करने की बात कही है। समीक्षा में कहा गया है, 'छात्रवृत्ति या पेंशन जैसी नकद लाभ के अंतरण वाले कार्यक्रमों और किरोसिन, एलपीजी, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस), उर्वरकों आदि पर दी जाने वाली मूल्य सब्सिडियों तथा दूसरी इनपुट सब्सिडियों में डीबीटी को लागू कर योग्य व्यक्ति को इससे बाहर रखे जाने और गैर-गरीब को इसमें शामिल किए जाने जैसी खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। इससे सार्वजनिक खर्च ज्यादा प्रभावी होगा और प्रभावपूर्ण तरीके से लक्षित होगा।'

समीक्षा में कहा गया है कि आधार से जुड़े भुगतान सेवा के पहले के मुकाबले अब बैंकों खातों में होने वाला भुगतान लगभग दोगुना हो गया है। पहले जहां 1.82 करोड़ रुपये प्रति ब्लॉक प्रतिवर्ष जाता था वहीं अब यह 3.98 करोड़ रुपये प्रति ब्लॉक प्रति वर्ष हो गया है। यह दिखाता है कि आधार से जुड़े भुगतान सेवा शुरू करने बाद डीबीटी के जरिये अधिक रकम का प्रवाह हुआ है।

हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनरेगा पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार के दावे के उलट मनरेगा में आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली और डीबीटी के आने से योजना के तहत पात्र मजदूर बाहर हुए हैं और समय पर भुगतान की सुविधा बढ़ने की बजाय इससे मजदूरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिल डे ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'मनरेगा में आधार से जुड़े भुगतान और डीबीटी की शुरुआत से पहले इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए थे जिसमें मजदूरी जमा कराई जाती थी। अब आधार से जुड़े भुगतान के आने से बस इतना हुआ है कि पात्र मजदूर इससे बाहर हो गए हैं और कई पात्र लोगों को लाभ देने से मना कर दिया गया है।'

उन्होंने कहा कि समीक्षा में दावा किया गया है कि आधार से जुड़े भुगतान सेवा को शुरू करने के बाद मनरेगा के तहत दाखिल होने वाले मस्टर रॉल की संख्या में इजाफा हुआ है जो कि गलत है। इसकी वजह है कि काम की मांग हमेशा से ही गरीब तबकों वाले जिलों से अधिक रही है।

बीते साल नहीं हुई ट्रेनों की टक्कर मगर बढ़ी आग लगने की घटनाएं

भाषा
नई दिल्ली, 4 जुलाई

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रेनों की टक्कर का कोई मामला सामने नहीं आया लेकिन रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ। संसद में बृहस्पतिवार को पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बीते वित्त वर्ष में ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाएं घटकर 46 पर आ गईं। 2016-17 में ट्रेनों के पटरी से उतरने की 78 घटनाएं हुई थीं।

हालांकि, इस दौरान ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं बढ़कर छह पर पहुंच गईं। 2016-17 में ट्रेनों में आग की एक घटना ही हुई थी। समीक्षा के मुताबिक 2018-19 के दौरान रेलवे ने 115.95 करोड़ टन की माल ढुलाई (कोंकण रेलवे द्वारा किए गए लदान को छोड़कर) से राजस्व हासिल किया, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 110.61 करोड़ टन था। इस तरह रेलवे की माल ढुलाई में 4.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समीक्षा कहती है कि 2018-19 में रेलवे ने 122.13 करोड़ टन का राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान किया, जो इससे पिछले साल की तुलना में 6.18 करोड़ टन की वृद्धि दर्शाता है। अर्थात इसमें 5.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समीक्षा के अनुसार 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के

दौरान भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 2.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे में यात्रा करने वालों की संख्या में 0.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समीक्षा में कहा गया है कि रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे आयातित डीजल तेल पर देश की निर्भरता कम होगी। 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के पास विद्युत चालित 35,488 किलोमीटर मार्ग का नेटवर्क है, जो कुल नेटवर्क का 51.85 प्रतिशत है और 64.50 प्रतिशत माल ढुलाई करता है। यह 53.70 प्रतिशत कोचिंग ट्रैफिक को वहन करता है। विद्युतीकरण की गति में वृद्धि हुई है और वर्ष 2021 तक इसे बढ़ाकर 38,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है।

समीक्षा में कहा गया है कि स्वच्छ रेलवे, स्वच्छ भारत, मिशन स्वच्छता पर केंद्रित है। स्वच्छ रेलवे पोर्टल के अनुसार क श्रेणी के स्टेशनों में स्वच्छता के मामले में ब्यास रेलवे स्टेशन को पहला स्थान हासिल हुआ है और क- । की सूची वाले रेल स्टेशनों में विशाखापत्तनम शीर्ष पर रहा।

ऊर्जा और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी रेलवे ने वास्तविक प्रयास किए हैं और ग्रीन रेटिंग हासिल करने के लिए रेलवे स्टेशनों में होड़ लगी हुई है।

आर्थिक समीक्षा 2019 में सामाजिक क्षेत्र की प्रगति, तकनीकी एवं ऊर्जा सुरक्षा को अपनाने के फायदे दिख रहे हैं

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने न्यायिक सुधार एवं निवेश सुधार करने से बाजार को अच्छी दिशा मिलनी चाहिए

शुभदीप रक्षित
वरिष्ठ अर्थशास्त्री, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

समीक्षा में इलेक्ट्रिक वाहनों को जगह मिलने से पता चलता है कि यह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है

सोहिंदर गिल
महानिदेशक, एसएमईवी

दो भागों में इस समीक्षा को पढ़ने में तीन घंटे लगाए। बस इतना ही कहना है कि आज दोपहर दिल्ली के ऊपर बादल गहराए हुए हैं

डेरेक ओ ब्रायन
राज्यसभा सदस्य, तृणमूल कांग्रेस

विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वृद्धि अनुमान जाहिर नहीं किए गए हैं। सरकार इसके जरिये नकारात्मक तस्वीर पेश कर रही है

पी चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री

■ आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जनहित के लिए डेटा का उचित इस्तेमाल होना चाहिए

नागरिकों के डेटा बेचने के लिए बने ढांचा

नेहा अलावधी और करण चौधरी
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 4 जुलाई

आर्थिक समीक्षा में जनहित के तौर पर डेटा (जानकारियां) के इस्तेमाल और इनके लिए ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है। सुझाव में विभिन्न मंत्रालयों में डेटा केंद्रीकरण की बात कही गई है। हालांकि समीक्षा में नागरिकों से जुड़ी जानकारियां बेचने के सुझाव पर कई तरह की आशंकाएं जताई गई हैं। ऐसी आशंकाओं की बुनियाद यह है कि भारत में डेटा सुरक्षा या गोपनीयता से जुड़ा कोई असरदार कानून अस्तित्व में नहीं है।

समीक्षा में डिजिटल स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि तकनीक ने सूचना संग्रह, इनका भंडारण, इनकी प्रोसेसिंग और प्रसार से जुड़े कार्यों पर लागत कम करने और प्रक्रिया आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। समीक्षा में कहा गया है,'लोगों का डेटा लोगों द्वारा तैयार होता है और इनका इस्तेमाल भी लोगों के लिए ही होना चाहिए। जनहित के लिए डेटा का श्रेष्ठतम इस्तेमाल होना चाहिए।' इस तरह, समीक्षा में सरकार को डेटा गोपनीयता के दायरे में रहकर जनहित के लिए डेटा भंडार तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

आर्थिक समीक्षा में 'डेटा: ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल' के नाम से एक विस्तृत खंड में एक डैशबोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया है। इसका मकसद सरकार के साथ नागरिकों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारियों के आधार पर सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुधार करना है।

समीक्षा के अनुसार एक इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी की पहुंच के मोर्चे पर त्रुटिया कम हो जाएंगी। समीक्षा में कहा गया है,'निजी क्षेत्रों को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कुछ खास डेटाबेस तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है। लोकहित के तौर पर डेटा की अवधारणा के मद्देनजर लाभ के लिए इनके व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। हालांकि सामाजिक लाभ सरकार के खर्च से कहीं अधिक रहेंगे, सरकार पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए कम से कम डेटा के एक हिस्से की बिक्री की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र को डेटा से काफी लाभ पहुंच सकता है, इसके मद्देनजर इनके(डेटा) इस्तेमाल के लिए शुल्क लेना वाजिब की माना जाएगा। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि डेटासेट एनालिटिक्स एजेंसियों को बेचे जा सकते हैं। ये एजेंसियां डेआ प्रोसेस कर सूक्ष्म तथ्यों की जानकारियां हासिल करती हैं और बाद में इन्हें कंपनियों को बेच देती हैं। कंपनियां इन सूचनाओं का इस्तेमाल कर बाजार में मांग आदि का अंदाजा लगाती हैं और नए उत्पाद उतारने के साथ उन बाजारों का पता लगाती हैं, जहां कारोबार की भरपूर संभावनाएं हैं। फिलहाल देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें सरकार या अन्य सूचनाओं की बिक्री किा जाने का जिक्र है। प्रस्तावित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ने अपने अंतिम मसौदे में इस मुद्दे पर व्यापक रूप से कुछ नहीं कहा है।

मौजूदा समय में भारत में डेटा सुरक्षा या गोपनीयता से जुड़ा कोई असरदार कानून नहीं है

कानूनी एवं सामाजिक प्रभाव

नागरिकों से जुड़ी सूचनाएं सरकार द्वारा बेचने के सुझाव पर कानूनी जानकारों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता कहते हैं, 'आम तौर पर सरकार नागरिकों की सूचनाएं नहीं बेचती हैं, लेकिन इस तरह के सुझावों पर पहले ही अमल हो चुका है। उदाहरण के लिए सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से जुड़ी सूचनाएं बेचने की नीति की घोषणा की। इससे चिंताएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि भारत में कोई पुख्ता डेटा सुरक्षा कानून नहीं है।' टेकलेगिस एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसिटर्स के सलमान वारिस के अनुसार अगर दो प्रस्तावित विधेयक पारित हो जाते हैं तो यह आर्थिक समीक्षा में प्रस्तावित सुझाव के बिल्कुल विपरीत होंगे।

डेटा

सबका डेटा हो एक जगह इकट्ठा

इस साल फरवरी में पेश की गई मसौदा ई-कॉमर्स नीति में सामुदायिक डेटा का साझा करने के लिए पहला सुझाव दिया गया था। उस आधार पर, आर्थिक समीक्षा में यह स्पष्ट किया गया है कि डेटा स्टोरेज की प्रति गीगाबाइट लागत 1981 के 61,050 रुपये से घटकर आज महज 3.48 रुपये कैसे रह गई है और डेटा एनालिटिक्स तेजी से बढ़ा है।

मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड के बेहद सस्ता होने की वजह से इंटरनेट पर डेटा प्रसार की लागत बेहद मामूली है। इसे ध्यान में रखते हुए आर्थिक समीक्षा में नागरिकों का डेटा एक समग्र डेटाबेस के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी श्वेत पत्र में निजी तथा सरकारी इकाइयों द्वारा डेटा के अनियंत्रित संग्रह और इस्तेमाल से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी दी गई। श्वेत पत्र में कहा गया है, 'कुछ चिंताएं डेटाबेस के केंद्रीकरण, व्यक्तियों के प्रोफाइल तैयार करने, निगरानी बढ़ने और व्यक्तिगत स्वायत्तता में कमी आने से संबंधित हैं।' हालांकि डेटा के मुद्दे पर सरकार की सोच पिछले कुछ वर्षों में बदली है। समीक्षा में तेलंगाना सरकार की समग्र वेदिका पहल का उदाहरण दिया गया है, जिसमें डेटा को समेकित किए जाने के संभावित लाभ का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया है, 'यह पहल लगभग 25 मौजूदा सरकारी डेटाबेस से संबंधित है। ये डेटा व्यक्ति के नाम और पते के साथ एक सामान्य पहचानकर्ता के तौर पर शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी की सात श्रेणियां इस समेकन पहल में शामिल हैं - अपराध, परिसंपत्तियां, यूटिलिटीज, सब्सिडी, शिक्षा, कर और पहचान की जानकारी।

जज बढ़ें, छुट्टियां घटें और एआई का उपयोग

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 4 जुलाई

वर्ष 2018-2019 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका में अटके और लंबित मामले ऐसे नहीं हैं जिनसे पार न पाया जा सके। यह समस्या देश में कारोबार सुगमता और अनुबंधों को लागू कराने की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। समीक्षा में कहा गया है कि दरअसल मामले निपटाने की 100 प्रतिशत दर को निचली अदालत में सिर्फ 2,279 और उच्च न्यायालय के स्तर पर 93 अतिरिक्त न्यायाधीशों के जरिये प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी पहली आर्थिक समीक्षा में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि हालांकि 2016 में पारित ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता जैसे कानूनों से विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की कारोबार सुगमता के क्रम में सुधार आया था लेकिन व्यापार और कानूनी अनुबंधों का अनुपालन बड़ी बाधा बने रहे।

समीक्षा में कहा गया है कि यह पहले से ही स्वीकृत संख्या में है और केवल रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है। पांच वर्षों के जमावड़े को दूर करने के लिए आवश्यक दक्षता लाभ के परिदृश्य का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अपेक्षित उत्पादकता लाभ महत्त्वाकांक्षी तो है लेकिन इसे प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अवकाशों में कमी तथा सभी अदालतों में कृत्रिम मेधा जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का दिया सुझाव

आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की अदालतों में लंबित मामले कम करने के लिए एक सुझाव यह है कि निचली और उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की कार्य क्षमता बढ़ाने के अलावा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई जाए। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 49 दिनों के लिए बंद रहा जो 10 मई को शुरू हुई और 30 जून को खत्म हुई। शीर्ष न्यायालय सर्दियों के दौरान दो सप्ताह की छुट्टियों के लिए फिर बंद रहेगा और विभिन्न त्योहारों के दौरान 18 दिनों का और अवकाश लेगा।

समीक्षा में कहा गया है कि सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों का हिसाब लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के लिए 190 कार्य दिवस बचते हैं। इसके उलट उच्च न्यायालयों के लिए कार्य दिवसों का औसत 232 दिन और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 244 दिन है। राज्यों के बीच बहुत अधिक भिन्नता है और कई अदालतें शनिवार को काम करके छुट्टियों की भरपाई करती हैं।

इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 244 दिनों के कार्य दिवसों की तुलना करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सुझाव दिया है कि कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों की उत्पादकता में सुधार हो सकता है लेकिन निचली अदालतों में महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

न्यायपालिका के लिए प्रौद्योगिकी की तैनाती पर जोर देते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि लंबित मामले खत्म करने में मदद के लिए कृत्रिम मेधा के अनुप्रयोग देश के नीति निर्माताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए।

आर्थिक विकास के लिए निर्यात में बढ़ोतरी पर रहेगा ध्यान

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 4 जुलाई

आज पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि निवेश से संचालित विकास के मॉडल में निवेश में भारी भरकम बढ़ोतरी की रणनीति निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास की रफ्तार को बहाल करने की जवाबदेही निर्यात पर डाली गई है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग की हिस्सेदारी बचत के उच्च स्तर से अवरोधित बनी हुई है। 2018-19 में वस्तुओं का निर्यात 8.8 फीसदी बढ़ा जबकि पिछले साल इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी।

हालांकि अमेरिका-चीन व्यापार में जारी तनाव को देखते हुए यह स्पष्ट तौर पर 2019-20 में निर्यात में कमजोर बढ़ोतरी का जिक्र अर्थव्यवस्था में गिरावट के प्रमुख जोखिम के तौर पर करता है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अगर यथास्थिति बरकरार रही तो 2019-20 में निर्यात में बढ़ोतरी का परिदृश्य कमजोर रहेगा और इस बारे में चेतावनी भी दी गई है। अप्रैल 2019 में वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने दुनिया में आउटपुट घटकर 3.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो 2018 में 3.6 फीसदी रहा था।

रुपये का अवमूल्यन

इसमें कहा गया है कि निर्यात में जरूरी बढ़ोतरी के लिए जीडीपी की रफ्तार 8 फीसदी होनी चाहिए और इसके लिए वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में कमी जरूरी है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, हम निर्यात में बढ़ोतरी उत्पादकता में इजाफे के जरिए करने पर जोर दे रहे हैं, न कि मुद्रा के ह्रास से। हालांकि सरकार ने निर्यात में उच्च बढ़ोतरी पर जोर दिया है, जैसा कि रुपये में गिरावट के चलते रुपये के लिहाज से देखा गया था, वहीं 2018-19 में आयात घटा।

उद्योग की तरफ से भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा नजर डालने की मांग के आलोक में समीक्षा में कहा गया है कि मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों से भारत का आयात बढ़ा है और यह भारत के कुल आयात का 52 फीसदी है। दूसरी ओर भारत का निर्यात लगातार घट रहा है। कारोबारी साझेदार के साथ निर्यात की हिस्सेदारी कुल निर्यात में 36.9 फीसदी है।

निर्यात बढ़ाने के लिए गठित उच्चस्तरीय सलाहकार समूह ने सुझाव दिया था कि उद्योग के लिए सभी व्यापार समझौतों के असर का अध्ययन किया जाना चाहिए।

भारत ने विभिन्न देशों के साथ 28 द्विपक्षीय व अन्य व्यापार समझौते किए हैं।

पूर्वी एशियाई मॉडल

समीक्षा में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं मसलन जापान, दक्षिण कोरिया व चीन की अगुआई में विनिर्माण के चलते हुई बढ़त पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन ने उत्पादकता में मजबूती, नौकरियों के सृजन व निर्यात में बढ़ोतरी के लिए गहन श्रम वाले विनिर्माण पर निवेश के मामले में पूर्ववर्ती अरविंद सुब्रमण्यम के विचारों को अपनाया है।

दो प्रमुख क्षेत्रों कपड़ा व चमड़ा में सरकार ने और ढांचागत सुधार का संकेत दिया है। हालिया समीक्षा में एक बार फिर लक्षित योजना के जरिये वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी में बढ़ोतरी का आह्वान किया है और इसके लिए अहम बाजारों में बाजार हिस्सेदारी में इजाफा करने की बात कही गई है।

बीएस सूडोकू 3477

	7	8	1		9			
2	3		5	6		7		9
9	4			2			8	
3					5	9	6	7
7								8
6	5	9	3					4
	2			3			9	6
8		3		5	6		7	1
			9		4	8	2	

परिणाम संख्या 3476

4	9	5	2	7	8	3	1	6
7	2	8	6	3	1	9	4	5
1	6	3	4	5	9	7	8	2
8	5	6	1	9	7	2	3	4
2	1	9	8	4	3	5	6	7
3	4	7	5	2	6	8	9	1
5	7	1	3	8	4	6	2	9
9	3	4	7	6	2	1	5	8
6	8	2	9	1	5	4	7	3

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

ऊर्जा ■ ऊर्जा बचत के लिए होंगे प्रयास

संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और ऊर्जा दक्षता पर पहल हो

श्रेया जय और शाइन जैकब
नई दिल्ली, 4 जुलाई

आर्थिक समीक्षा में इस बार बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संसाधन को युक्तिसंगत बनाने और ऊर्जा दक्षता पर जोर दिया गया है। समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि भारत को ब्रिटेन और आइसलैंड जैसे अन्य तमाम देशों की तरह संसाधन दक्षता में निवेश करना चाहिए। इसके लिए पुनर्चक्रण, दोबारा उपयोग करने, खपत घटाने और नुकसान घटाने पर जोर देना होगा। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी और कुछ योजनाओं का नाम भी बदल दिया था। घरों तक बिजली पहुंचाने वाली योजना सौभाग्य और मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला इसके उदाहरण हैं। अप्रैल 2019 तक उज्ज्वला योजना के तहत करीब 7.18 करोड़ परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए जबकि इस दौरान सौभाग्य योजना के तहत 99 फीसदी परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई।

इन योजनाओं के प्रभाव के बारे में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया है जिससे पर्यावरण पर दबाव और उसकी निरंतरता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था- संसाधन दक्षता ब्यूरो (बीआरई)- बनाने का सुझाव दिया गया है जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल स्थापित करेगी।

समीक्षा में कहा गया है, 'विभिन्न अध्ययन में संसाधन दक्षता के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और पाया गया कि विनिर्माण क्षेत्र में इससे 6,000 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। प्रभावी कचरा प्रबंधन नीतियों से 14 लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं और गाड़ियों के कबाड़ से करीब 80 लाख टन इस्पात तैयार किया जा सकता है।' संसाधन दक्षता के लिए एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए समीक्षा में इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संसाधनों की खपत घटाने, कचरा उत्पादन में कमी लाने और ग्रीनहाउस गैस का उत्पादन घटाने के लिए स्थायी सार्वजनिक खरीद पर एक नीति बनाने और संसाधन दक्षता के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है।

भारत सरकार ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ-साथ विभिन्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम पहले से ही चला रही है। समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों से लागत में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 11 करोड़ टन की कमी आई। आर्थिक समीक्षा में ऊर्जा दक्षता के लिए विभिन्न उपायों को सुझाते हुए कहा गया है कि भारत को कोयला एवं अक्षय ऊर्जा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ऊर्जा नीति तैयार करने की जरूरत है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन के बजाय बुनियादी ढांचा जरूरी

आर्थिक समीक्षा में विभिन्न अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के बजाय चार्जिन बुनियादी ढांचा कहीं अधिक जरूरी है। इससे देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बल मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी से चलाने की क्षमता जीवाश्म ईंधन के मुकाबले काफी कम है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह सुझाव ऐसे समय में दिया है जब उद्योग और सरकार की नीतियों पर विचार करने वाली संस्था नीति आयोग ने इसकी रूपरेखा के बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। समीक्षा में कहा गया है, 'हमने पाया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी काफी हद तक चार्जर की उपलब्धता पर निर्भर है और चार्जर पॉइंटों की उपलब्धता इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से संबंधित है। चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।' समीक्षा में कहा गया है कि भारत में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सीमित है और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की राह में इसे एक बड़ी बाधा मानी जा रही है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद समीक्षा में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत का भविष्य है और अनुकूलन नीतियों की मदद से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर सकता है।

बीएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 119

पुराने सुझाव, नया तरीका

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने अपनी पहली आर्थिक समीक्षा में सफलतापूर्वक पुरानी और सुविचारित अनुशंसाओं को एक नए और देसी रूप में प्रस्तुत किया है। सरकार को निजी निवेश पर ध्यान देना चाहिए, निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और प्रशासनिक सुधार करना चाहिए, सरसरी तौर पर देखें तो इन सुझावों में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। परंतु समीक्षा ने इन नीतिगत निर्देशों को ताजगी प्रदान करते हुए उन्हें देश की हालिया आर्थिक सफलताओं से इस प्रकार जोड़ा है कि वह राजनीतिक नीति निर्माताओं को प्रेरित करेगी। इसके अलावा उन्होंने इन व्यापक अनुशंसाओं को पारंपरिक वृद्धि नीतियों के साथ सुसंगत बनाया है जबकि देश और विदेश में तमाम लोग 'औद्योगिक नीति' वाले दिनों की वापसी की वकालत कर रहे हैं। समीक्षा ने उस सामान्य समझ को भी चुनौती दी है जिसमें माना जाता है कि भारत को निवेश और निजी निवेश को केंद्र में रखते हुए खपत आधारित वृद्धि पर भरोसा करना चाहिए। यही कारण है कि उनकी नीति को निर्यात वृद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। यह उस बढ़ते संरक्षणवाद के विरुद्ध है जो सरकार के कुछ हालिया कदमों में नजर आता है। तयशुदा निजी निवेश को सन 2000 के दशक के मध्य जैसी ऊंचाइयों पर ले जाए बिना स्थायी उच्च वृद्धि दर का हासिल होना मुश्किल है। बहरहाल, इसका प्रबंधन आसान नहीं। निवेश में इजाफे की भरपाई बचत में इजाफे से करनी होगी, वरना चालू खाते का घाटा एक बार फिर बढ़ेगा। परंतु हाल के वर्षों में निजी कॉर्पोरेट जगत ने अनिवार्य तौर पर अपने आंतरिक बचत-निवेश के अंतर को समाप्त किया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में विशुद्ध बचतकर्ता आम परिवार हैं जो छोटे और असंगठित कारोबार चलाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की विशुद्ध उधारी जिसमें केंद्र और राज्यों की बजट और बजट से इतर उधारी शामिल है, उसमें 2011-12 से औसतन 10 फीसदी की दर से इजाफा हुआ। ऐसे में निजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को कम व्यय और अधिक राजस्व की स्थिति लानी होगी। समीक्षा में इसका उल्लेख करके दलील और मजबूत की जा सकती थी। निजी निवेश के इस संकट की वजह को समझने का प्रयास करें तो समझ आता है कि सुब्रमण्यन ने समीक्षा में यह विषय क्यों छुआ। मजबूत बहुमत वाली सरकार की ओर से स्थिरता की गारंटी के बावजूद अर्थव्यवस्था में नीतिगत अस्थिरता बनी हुई है। समीक्षा पारदर्शी, स्वतंत्र और गुणवत्तापूर्ण नीति निर्माण प्रक्रिया का सुझाव देता है लेकिन अन्य संभावनाएं भी हैं। समुचित कानूनी और प्रशासनिक सुधार तथा उसके साथ संस्थागत स्वायत्तता बचाए रखी जा सके तो नीतिगत अनिश्चितता में कमी आ सकती है। न्यायिक सुधारों का लंबे समय से लंबित प्रश्न भी अहम है। देश में विवाद निस्तारण और अनुबंध प्रवर्तन की दृष्टि से वह अहम है। वास्तविक ब्याज दर बहुत ऊंची है, उसे कम करने की आवश्यकता है। प्रतिगामी नीति जो कंपनियों को उल्टा प्रोत्साहन देते हुए उन्हें छोटी और गैर किफायती बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे खत्म किया जाना चाहिए और छोटे के बजाय नए उपक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समीक्षा में उचित कहा गया है कि इनमें से पहले वाली कंपनियां वृद्धि और रोजगार पैदा करती हैं। अंत में, निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाना प्राथमिकता में होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में कंपनियों की औसत उत्पादकता से इसका आकलन किया जाना चाहिए। इसके लिए श्रम कानून सुधारों की आवश्यकता है और समीक्षा इस बात को स्पष्ट रूप से कहती है। इसके लिए वह राजस्थान में 2014 में किए गए श्रम सुधारों के नतीजों को बानगी के रूप में पेश करती है। रुपये के अवमूल्यन का मसला अवश्य नदारद है। समीक्षा एक पाद टिप्पणी में कहती है कि निर्यात को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका नहीं है। परंतु अधिमूल्यित मुद्रा का मूल्य सही करना प्रतिस्पर्धी बढ़त पाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है।

अजय मोहंती

कॉर्पोरेट कर दर में कमी की जरूरत

करों में मामूली बदलाव करके हम उन विसंगतियों को दूर कर सकते हैं जिनके कारण पूंजी की उपलब्धता और उसका प्रवाह बाधित होता है। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **अजय शाह**

अगर कॉर्पोरेट मुनाफे पर उच्च कराधान की तुलना की जाए तो उभरते बाजारों या जी-20 देशों की तुलना में भारत की स्थिति थोड़ी अस्वाभाविक नजर आती है। सन 2001, 2005 और 2007 में भारत की कॉर्पोरेट कर दर जी-20 देशों की कर दर के माध्य से करीब 9 से 10 फीसदी अधिक थी। उसके बाद यह अंतर बढ़कर 21 फीसदी तक पहुंच गया क्योंकि दुनिया भर में कॉर्पोरेट कराधान में गिरावट आई। कॉर्पोरेट कराधान से भारत को लाभ होता क्योंकि इससे स्थानीय और विदेशी निवेशकों के बीच भारत की लोकप्रियता बढ़ती है। वह कॉर्पोरेट स्वरूप के दोहरे कराधान को कम करता है और अप्रत्यक्ष माध्यमों से संपत्ति और कर राजस्व में इजाफा करता है। यह प्रक्रिया 2015 में आरंभ हुई थी और 5 जुलाई के भाषण में इसका उल्लेख होना चाहिए।

ओईसीडी एक ऐसी माप व्यवस्था संचालित करता है जो निगमों की कुल आय पर समग्र कर दर्शाती है। भारत दो मामलों में अलग नजर आता है।

वर्ष 2018 में भारत 48.3 फीसदी की उच्च दर के साथ अलग नजर आता है। अगर इसकी तुलना उभरते बाजारों के 25 फीसदी के औसत या जी-20 देशों के 27.7 फीसदी के औसत से की जाए तो भारत में दर काफी ज्यादा है।

बीते तमाम वर्षों में दरों में बदलाव के मामले में भी भारत अन्य देशों या क्षेत्रों के साथ सुसंगत नहीं है। वर्ष 2000 में भारत में यह दर 48.1 फीसदी थी जबकि आज भी हमारे यहां लगभग इतनी ही दर है। जबकि समय बीतने के साथ-साथ उभरते बाजारों की दर 5 प्रतिशत तक गिरी और मध्यम अवधि में जी-20 देशों में यह दर 8.3 फीसदी तक कम हुई। इन वजहों से भारत उच्च कराधान वाला देश बन गया है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि सन 2001, 2005 और 2006 में भारत और जी-20 देशों की दरों का अंतर बहुत कम था। यह वह दौर था जब बहुत बड़े पैमाने पर कारोबारी विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हुई। हालांकि हम इसे विस्तार की इकलौती वजह नहीं मान सकते। सच तो यह है कि वर्ष 2002 से 2008 के बीच नीति निर्माण के कई तत्त्व देश के पक्ष में रहे। यह अवश्य कहा जा सकता है कि कर दरों का प्रतिस्पर्धी होना भी इसकी एक वजह थी।

यह अहम मसला क्यों है? निगमों की कर दर कम रखने के पीछे प्रमुख तौर पर तीन दलील हैं। पहली बात तो यह कि हमें व्यक्तिगत कराधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी लोगों की कुल आय का आकलन कर व्यक्तिगत आय कर लगाया जाए। एक बार ऐसा होने के बाद संस्थागत ढांचे पर अलग से कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर चाहे वह साझेदारी वाली फर्म हो या स्वामित्व वाली या फिर सीमित दायित्व वाली कंपनी। कॉर्पोरेट को दंडित करके हम विभिन्न कारोबारों को अन्य तरीकों से संगठित होने का अवसर दे रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। विभिन्न कॉर्पोरेट द्वारा भारी लाभांश भुगतान की मांग करने वाले नियम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट मुनाफे को व्यक्तिगत आय में दर्शाया जाए और इस पर व्यक्तिगत आय कर लगाया जाए।

दूसरी अहम बात पूंजी के प्रवाह से संबंधित है। पूंजी पर कर या वित्तीय लेनदेन पर कर की व्यवस्था इसलिए कमजोर रही है क्योंकि ये बाजार स्थिर नहीं हैं। आधुनिक विश्व में भारतीय और वैश्विक पूंजी धारकों के पास निवेश के लिए वैश्विक विकल्प मौजूद हैं। कराधान में छोटे बदलाव भी पूंजी की स्थिति में बदलाव के साथ असंगत प्रतिक्रिया को जन्म दे सकते हैं। यह बदलाव पूंजी के देश से बाहर जाने, निवेश के तरीके में बदलाव के रूप में सामने आ सकते हैं। यह भारत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि हमें समृद्धि हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

यही कारण है कि भारत की कर नीति में अर्थव्यवस्था के तीन तत्त्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला संपत्ति कर, दूसरा खपत आधारित जीएसटी और तीसरा निवास आधारित व्यक्तिगत आय कर। कर लगाने के तमाम अन्य प्रयासों को बुरा कर माना जाता है क्योंकि उनकी वजह से व्यवहार में व्यापक बदलाव आता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है।

तीसरी अंतर्दृष्टि यह है कि देश और सरकार का लाभ तब बढ़ता है जब देसी या वैश्विक निगम अपना कारोबार यहां स्थापित करते हैं। जब कंपनियां भारत में अपना कारोबार संचालित करती हैं तो लोगों की समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा सरकार को और अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है। जो निगम परिसंपत्ति बेचते हैं या किराये पर देते हैं, उन्हें बेहतर परिसंपत्ति कर राजस्व हासिल होता है। जो निगम श्रम की सेवा लेते हैं, वे भी व्यक्तिगत आय कर उत्पादित करते हैं। इसका प्रभाव कारोबार के क्रम में एकदम नीचे तक होता है। तीसरी बात, जो भारतीय निगमों से आय अर्जित करते हैं, वे खपत भी करेंगे। इससे जीएसटी राजस्व अर्जित होगा क्योंकि जीएसटी खपत आधारित कर है।

इन तीन विचारों ने दुनिया भर में उच्च कॉर्पोरेशन कर से परे ऐतिहासिक गतिशीलता तैयार की। सन 1980 के बाद से दुनिया भर में इस कर दर में गिरावट आई। अमीर देशों में जहां ज्यादा कर-जीडीपी अनुपात की आवश्यकता होती है, वहां केवल जीएसटी, आयकर और संपत्ति कर के माध्यम से संसाधन जुटाए जाते हैं।

हमें उभरते बाजारों की माध्य दर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बल्कि हमें वैश्विक मानकों पर प्रतिस्पर्धी होना होगा। अगर हम 20 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं तो हम तीन चौथाई उभरते बाजारों से बेहतर स्थिति में होंगे। खासतौर पर हम चीन की तुलना में अधिक आकर्षक होंगे क्योंकि वहां कर दर 25 फीसदी है।

वर्ष 2015 में इसके क्रियान्वयन के लिए भविष्य की कई तिथियां घोषित की थीं। देसी और विदेशी निवेशक इस पर सुस्त रहे और बाद में उनकी आशंका सही साबित हुई। आगामी बजट भाषण में इसके क्रियान्वयन की घोषणा करना सही होगा। इससे 2019-2020 में थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आगे चलकर हालात बेहतर होंगे।

इसे सीमा शुल्क कटौती के तर्ज पर लागू किया जा सकता है। सन 1991 से 2003 तक इसमें लगातार कटौती हुई जिसका कर अधिकारियों ने विरोध भी किया क्योंकि कर राजस्व में कमी आ रही थी। परंतु संरक्षणवाद समाप्त होने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं और इसकी भरपाई हो गई।

अदालती झंझट से बचने के लिए व्यापक शिक्षा नीति बनाना जरूरी

अदालती आईना

एम जे एंटनी

यह वह समय है, जब युवा पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के लिए कड़ी भागदौड़ करते हैं। इससे यह एक तरह का अकादमिक दंगल बन जाता है। जल्द ही यह दंगल शैक्षणिक संस्थानों की जगह अदालतों में पहुंच जाएगा। यह स्थिति तीन दशकों से अधिक समय से बनी हुई है। वर्ष 1989 में उच्चतम न्यायालय ने लिखा, 'भारतीय सभ्यता में शिक्षा को मानव समाज के पवित्र कर्तव्यों में से एक माना गया है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन को धार्मिक एवं परोपकारिता का काम माना जाता है। भारत में शिक्षा कभी बिक्री की वस्तु नहीं रही।' यह बात तब कही गई, जब बेंगलूरु के एक निजी मेडिकल कॉलेज ने एक छात्रा से कैपिटेशन फीस के रूप में 60,000 रुपये मांगे थे।

अब समय इतना बदल गया है कि शिक्षा बड़ा कारोबार बन गई है। उच्चतम न्यायालय ने भी धीरे-धीरे यह हकीकत स्वीकार कर ली है। हाल के फैसलों में उच्च शिक्षा को परोपकारिता नहीं बल्कि व्यापार एवं कारोबार करने के अधिकार का हिस्सा माना गया है। राजनेता और उद्यमी अपने पेशेवर कॉलेजों को अपनी प्रतिष्ठा के तमगे के रूप में पेश करते हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं, जो आपको सलाह देती हैं कि कैसे 10 कदम उठाकर 10 लाख डॉलर का शिक्षा कारोबार शुरू किया जा सकता है। इसके नतीजतन अदालत विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं से अटी पड़ी हैं। हाल में उच्चतम न्यायालय के अवकाश पीठों ने दो फैसले दिए हैं। ये इस बात की चेतावनी देते हैं कि प्रवेश सीजन खत्म होने और अदालतों के गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से खुलने के बाद याचिकाएं बड़ी तादाद में आएंगी।

अदालतों के सामने सबसे गंभीर मुद्दा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता है। नियामक स्तरहीन या नाम मात्र के कॉलेजों को मान्यता दे देते हैं। प्रबंधन पूरे पाठ्यक्रम के लिए 1 करोड़ रुपये तक वसूल लेते हैं। वे छात्रों की स्वीकृत संख्या से अधिक को प्रवेश दे देते हैं। इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है। पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि अपात्र मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाए।

> उच्च पेशेवर शिक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए नई सरकार में दृढ़ इच्छाशक्ति होना जरूरी है। उसे अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा कारोबार से बनाया जाने वाला दागी पैसा उस सहायक नदी के समान है, जो राजनीति और चुनावी प्रक्रिया रूपी मुख्य नदी में जाकर गिरता है।

हालांकि पेशेवर कॉलजों को लेकर बड़ी तादाद में फैसले आते हैं, लेकिन इनमें एकरूपता नहीं है। ये आदेश केवल तदर्थ हैं, जो केवल उस सीजन में किसी विशेष संस्थान की समस्या को सुलझाते हैं।

इसलिए पहले के आदेशों का हवाला देते हुए और अधिक याचिकाएं दायर की जाती हैं और पुरानी याचिकाओं पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। स्पष्टीकरण आदेशों में दशकों पहले के आदेशों को देखा जाता है, इसलिए यह वकीलों के लिए कमाई का अच्छा जरिया होता है।

जो छात्र निचले ग्रेड के कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, वे आम तौर पर एक नपा-तुला जोखिम लेते हैं। उनका पाठ्यक्रम में बने रहना संयोग की बात है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने की मंजूरी दी है, लेकिन कुछ अन्य में प्रबंधन को हर्जाने के रूप में भारी राशि लौटाने को कहा गया।

पिछले दिनों फाउंडेशन फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बनाम एआईसीटीई मामले के फैसले में कहा गया कि इस शैक्षणिक संस्थान ने ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी गई। इसके बावजूद कॉलेज ने स्वीकृत सीटों से अधिक तादाद में छात्रों को प्रवेश दिया। इसके बाद प्रबंधन अतिरिक्त सीटों की मंजूरी हासिल करने के लिए अदालत गया और उसने किए जा चुके निवेश और डॉक्टरों की कमी का हवाला दिया। अदालत ने शुरुआत में कॉलेज को 4 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। एआईसीटीई ने अपने स्तर पर नियमों के उल्लंघन के लिए कॉलेज पर 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने बढ़ी सीटों को यह कहते हुए मंजूरी दी कि कॉलेज ने अवैध रूप से अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश कर उनके करियर को जोखिम में डाल दिया है। असल में कॉलेज को हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया, जबकि ज्यादा कड़ी सजाएं देने का विकल्प मौजूद था। प्रभावित छात्रों के प्रति उदारता दिखाते हुए उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने और डिग्री हासिल करने की मंजूरी दी गई।

एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी बनाम भारत संघ के दूसरे मामले में पेशवर कॉलेजों की शीर्ष संस्था ने खाली सीटों का हवाला देते हुए काउंसिलिंग के लिए ज्यादा समय मांगा। अदालत ने पाया कि प्रवेश के लिए समय सीमा तय करने में कोई निरंतरता नहीं है और ऐसी अनियमितताओं का बहुत से निजी प्रबंधन फायदा उठा रहे हैं। वे अपात्र छात्रों को प्रवेश देते हैं और भारी फीस वसूलते हैं। अदालत ने कहा कि अगर कुछ सीट खाली रह जाती हैं तो उसे मदद नहीं दी जा सकती है।

उच्च पेशेवर शिक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए नई सरकार में दृढ़ इच्छाशक्ति होना जरूरी है। उसे अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा कारोबार से बनाया जाने वाला दागी पैसा उस सहायक नदी के समान है, जो राजनीति और चुनावी प्रक्रिया रूपी मुख्य नदी में जाकर गिरता है। अदालत प्रवेश और संस्थानों की मान्यता से संबंधित विवादों में फैसले देती हैं, लेकिन एक व्यापक नीति बनाना और उसे लागू करना सरकार का काम है।

कानाफूसी

राम गोपाल की चिंता

समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सदस्य राम गोपाल यादव ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान सदन में कहा कि अश्लील विज्ञापन और अंत:वस्त्र पहने मॉडलों के दृश्य टेलीविजन पर दिखाए जाने के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। यादव ने ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि ऐसा करने से ही हमारी संस्कृति दुष्प्रभावों से बच सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापनों के कारण परिवार के साथ टीवी पर समाचार के कार्यक्रम देखना भी दूभर हो गया है। उन्होंने आर्नोल्ड जे टॉयन्बी की किताब अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री का उल्लेख करते हुए कहा कि नग्नता और शराबनोशी सभ्यता को हो रहे नुकसान की दो प्रमुख वजह हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनुच्छेद 370 खत्म करने का वादा किया था लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 377 समाप्त की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।

कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की नई दिल्ली में राहुल गांधी से ताजा मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस जल्दी ही मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम घोषित कर देगी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। इस पद के लिए प्रदेश में एक अनार, सौ बीमार की स्थिति बनी हुई है। कई नेता तो इसके लिए लॉबीइंग भी कर रहे हैं। संभावित दावेदारों में सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। उनके अलावा प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन, उमंग सिंघार और अजय सिंह राहुल जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। प्रदेश के कई मंत्री खुलकर सिंधिया के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। इनमें गोविंद गौतम, प्रभुराम चौधरी और प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री बाला बच्चन को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं।

आपका पक्ष

देश में बेरोजगारी की दर कम

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन और एशिया प्रशांत देशों के मुकाबले बेरोजगारी की दर कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 3.5 फीसदी है जबकि चीन में 4.7 फीसदी और एशिया प्रशांत देशों में 4.2 फीसदी है। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने राज्य सभा में कहा कि भले ही इस रिपोर्ट में देश को कम बेरोजगारी दर की श्रेणी में रखा है लेकिन वे इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तथा सरकार रोजगार सृजन करने में प्रयासरत है। रोजगार सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार की कमी नहीं लेकिन युवा एक स्थिर रोजगार की तलाश में होते हैं। देश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र से रोजगार सृजन होते हैं। लेकिन सरकार के पास असंगठित क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है इस बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए देश में

वास्तविक बेरोजगारी दर का पता चलना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में अधिकतर युवा सरकारी महकमे में इसलिए रोजगार चाहते हैं ताकि उन्हें स्थिर एवं सुरक्षित रोजगार मिल सके जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम होता है। अगर इन आंकड़ों से परे सोचा जाए तो भारत में दुनिया के 15 से 17 प्रतिशत युवा हैं। किसी देश का

देश में बेरोजगारी दर कम करने के लिए सरकार को उचित नीति बनाने की जरूरत है

युवा होना एक सुनहरा अवसर माना जाता है क्योंकि देश के पास जनसांख्यिकीय लाभांश लेने का पूरा मौका होता है। लेकिन इन युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार मांग के अनुसार रोजगार सृजन करने में असफल रही है और देश की बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी है। बेरोजगारी एवं अवसाद के चलते अधिकतर युवा उपजीविका एवं कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में गलत राह पकड़ते हैं। गलत लोगों के चंगुल में फंस कर अवैध एवं आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। इससे देश में अपराध में वृद्धि हो रही है। सरकार को आंकड़ों से परे सोचकर देश में रोजगार सृजन करने का हल खोजना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

खेती में पानी खपत कम करनी होगी

देश में सबसे ज्यादा पानी की खपत फसलों में होती है। पानी की कुल उपलब्धता का 5 प्रतिशत पेयजल के रूप में, 15 प्रतिशत औद्योगिक कामों में और 80 प्रतिशत कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा कृषि पद्धति में एक किलो चावल के उत्पादन में 5,600 लीटर पानी की खपत होती है, वहीं चीन में यह मात्रा 350 लीटर है। सरकार इस अंतर को तकनीक, शोध आदि के जरिये पूरा करने पर जोर देना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने कारगर पहल की है। इनमें हरियाणा सरकार ने धान के बजाय कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दिया है। इसी तरह जलसंभरण की दिशा में महाराष्ट्र और राजस्थान ने प्रयास किए है। जल संचयन और जलसंभरण के पारंपरिक तरीकों को ग्रामीण इलाकों से सीखने की जरूरत है। सामुदायिक भागीदारी से जल संचयन एवं जल संरक्षण के उपायों को कारगर बनाया जा सकता है। इसमें तालाब, कुओं और प्राकृतिक जलाशयों का पुनर्निर्माण भी शामिल है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।